निक्षेपों और प्रतिभूतियों का व्यपगमन तथा नगरपालिकाओं द्वारा उनका प्रतिसंदाय नियम 1960

(अधिसूचना सं. डी. 2269/एफ.8(9) एल.एस.जी./60, दिनांक 23.3.1960, जो राजस्थान राजपत्र अनुपूरक, भाग 4–ग दिनांक 11.8. 1960 में प्रकाशित की गयी।)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 38 सं. 38) की धारा 297 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ – (1) इन नियमों का नाम निक्षेपों और प्रतिभूतियों का व्यपगमन तथा नगरपालिकाओं द्वारा उनका प्रतिसंदाय नियम, 1960 है।

(2) इनका पप्रसार सम्पूर्ण राजस्थान पर होगा।

(3) ये, राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रतिभूतियों या निक्षेपों का व्यपगत होना– किन्हीं अन्य नियमों या बोर्ड/परिषद की उप–विधियों के उपबन्धों के अधीन निक्षिप्त ऐसे निक्षेप या प्रतिभूतियॉ, जिनके लिए उनके देय हो जाने के पश्चात् तीन पूर्ण लेखा वर्षों से अधिक समय तक कोई दावा नहीं किया हो, व्यपगत हो जायेंगी और उनको प्रत्येक वर्ष के अंत में अन्तरण प्रविष्टियां द्वारा शीर्ष 'प्रकीर्ण' के अधीन नगरपालिका निधि में जमा किया जायेगा।

3. निक्षेपों का प्रतिसंदाय– नियम 2 के अधीन नगरपालिका निधि में व्यपगत निक्षेपों को तब तक प्रतिसंदाय नहीं किया जायेगा जब तक कि बोर्ड/परिषद का इस बात से समाधान नहीं हो जताा है कि मद, वास्तव में प्राप्त की गयी थी, व्यपगत के रूप में अग्रनीत करके जमा की गयी थी और अब इसका ऐसे व्यक्ति द्वारा दावा किया गया है जो व्यपगत से पूर्व किसी भी समय इसका आहरण कर सकता था। तथापि, व्यपगत निक्षेप की प्रतिदत्त रकम, प्रतिदाय के रूप में रोकड बही में प्रभारित की जायेगी न कि निक्षेपों के नामें लिखी जायेगी, किन्तु निक्षेप के प्रतिसंदाय को निक्षेप रजिस्टर में यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से अभिलिखित किया जायेग कि किसी व्यपगत निक्षेप का दो बार संदायाय नहीं कर दिया जाये।

4. व्यपगत निक्षेपों के प्रतिसंदाय की प्रक्रिया– प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिसंदय निक्षेपों के लिए पृथक् आवेदन पत्र होना चाहिए और इसको वाउचर के रूप में जिस पर कि संदाय किया जाना है प्रयुक्त किया जायेगा।